रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 545] नई दिल्ली, वीरवार, दिसम्बर 20, 1979/अग्रहायण 29, 1901
No. 545] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 1979/AGRAHAYANA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय
(इस्पात विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1979

विषय.—लोह स्क्रैप समिति का गठन

का. आ. 854(अ)/अा. व/लोहा और इस्पात.—केन्द्रीय सरकार, लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के खंड 17-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त आदेश के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए, लोह स्क्रैप समिति नामक एक समिति का गठन करती है ।

2. उपरोक्त समिति का गठन और कार्य निम्नलिखित में होंगे :—

(क) गठन.—समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी,—

अध्यक्ष :

लोहा और इस्पात नियंत्रक

सदस्य :

(1) भारत सरकार के इस्पात विभाग का संयुक्त सचिव ।

(2) इस्पात और खान विभाग का संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार ।

(3) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का एक नाम-निर्देशिती ।

(4) अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, मेटल धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड ।

(ख) कृत्य :

(1) समिति देश में स्क्रैप के पुन: वेल्लित करने, गलाने और अन्य औद्योगिक प्रयोगों के लिए कुल उपलभ्यता का पुनर्विलोकन करेगी और इस बाबत रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को तीन मास में एक बार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा की जाने पर अधिक बार देगी ।

(2) जहां आवश्यक है, समिति मुख्य इस्पात उत्पादकों के कार्यकरण का, जहां तक उसका सम्बन्ध इस्पात संयंत्रों से उत्पन्न लोह स्क्रैप के प्रेषण, वितरण और कीमत लगाने से है. समन्वय करेगी ।

(3) समिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित नीति विषयक विनिश्चयों के अनुसार घरेलू उप-लभ्यता की अनुपूर्ति के लिए कदम उठा सकेगी और, यदि आवश्यक है तो सारणीबद्ध अभि-करण को स्क्रैप के आयात के लिए, जिसके अन्तर्गत विभंजन के लिए पुराने पोतों का आयात भी है, उचित अनुदेश जारी कर सकेगी ।

(4) समिति उत्पादकों/इण्डेण्टकर्तओं और प्राधिकृत व्यौहारियों से ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकेगी जैसी इस्पात संयंत्रों से उत्पन्न लोह स्क्रैप के आयोजन और आबंटन सम्बन्ध में अपेक्षित है ।

(5) समिति देश में स्क्रैप की उठाई-धराई और प्रसंस्करण सुविधाओं के जिसके अन्तर्गत पोत विभंजन और स्पौंज लोहे के रख-रखाव के लिए बन्दरगाहों पर सुविधाएं भी हैं, विकास के लिए स्कीमें बना सकेगी तथा ऐसी स्कीमों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता दे सकेगी ।

(6) समिति, स्क्रैप के बाजार कीमत को, ऐसी कार्रवाई द्वारा जैसी वह उचित समझे, स्थिर रखने का प्रयत्न करेगी ।

(7) समिति, उप-पैरा (1) से (6) तक में उल्लिखित कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए, एक विकास निधि स्थापित कर सकेगी और उसका प्रचालन कर सकेगी सारणीबद्ध अभिकरण और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, स्क्रैप और पुराने पोतों के आयात के लिए ऐसी निधि में आयात कीमत और सेवा प्रभार तथा उस कीमत के बीच, जिस पर स्क्रैप या पुराना पोत बेचा जाता है, अन्तर का निक्षेप करने की अपेक्षा कर सकेगी जहां राज्य सरकार उपक्रम या सारणीबद्ध अभिकरण स्वयं ही पोत विभंजक है, वहां समिति, उससे निधि में ऐसी राशि निक्षिप्त करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी वह समय-समय पर अवधारित करे । उप-पैरा (4), (5) और (6) में उल्लिखित कृत्यों की बाबत समिति ऐसे निदेशों के अनुसार कार्य करेगी जैसे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर जारी करे ।

(ग) साधारण :

(1) समिति का अधिवेशन उतनी बार होगा जितनी बार आवश्यक है किन्तु दो मास में कम से कम एक बार अवश्य होगा जिससे कि वह अपने पर्यवेक्षण और समन्वय सम्बन्धी कृत्यों का प्रभावकारी ढंग से निर्वहन कर सके । उसे अपने अधिवेशन देश में ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों पर करने चाहिए जो स्क्रैप के उत्पादन और उपभोग तथा पोत विभंजन से सम्बद्ध हैं । वह स्वविवेकानुसार उत्पादकों और उपभोक्ताओं को, अधिवेशन में सम्मिलित होने और विचाराधीन मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए निमंत्रित कर सकेगी ।

(2) धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड (धा. स्क्रै. व्या. नि.) समिति को सचिवीय सहायता देगा और वही बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करेगा और विनिश्चयों आदि को तैयार करेगा।

[एम.सी.-8(3)/79-डी.आई.बी.]

के. शिवारामाकृष्णन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

(Department of Steel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1979

Subject :—Setting up of a Committee on Ferrous Scrap.

S.O. 854(E)/Ess. Comm./Iron & Steel.—In exercise of the powers conferred by clause 17B of the Iron and Steel (Control) Order 1956, the Central Government hereby sets up a Committee to be known as the Ferrous Scrap Committee for the purpose of giving effect to the provisions of the aforesaid Order.

2. The composition and the functions of the aforesaid Committee shall be as follows :—

(a) Composition :—The Committee shall consist of :

Chairman :

The Iron and Steel Controller

Members :

(i) The Joint Secretary to the Government of India in the Department of Steel.

(ii) The Joint Secretary and Financial Adviser, Department of Steel and Mines.

(iii) A nominee of the Steel Authority of India Limited.

(iv) The Chairman-cum-Managing Director, Metal Scrap Trade Corporation Limited.

(b) Functions :

(1) The Committee shall review the overall availability of scrap in the country for re-rolling, melting and other industrial uses and submit reports in this regard to the Central Government once every three months or more frequently if so required by the Central Government.

(2) Where necessary, the Committee shall coordinate the working of main steel producers so far as it relates to evolving of common procedures and joint action in the matter of despatch, distribution and pricing of ferrous scrap arising in the steel plants.

(3) The Committee may initiate action and if necessary, issue suitable instructions to the canalising agency for the import of scrap, including the import of old ships for breaking, to supplement domestic availability within the policy decisions announced by the Central Government.

(4) The Committee may obtain such information from the producers/indentors and authorised dealers as it may require in connection with the planning and allocation of ferrous scrap arising in the steel plants.

(5) The Committee may formulate schemes for the development of scrap handling and processing facilities in the country, including facilities at the ports for ship breaking and for handling sponge iron, and may provide financial assistance to promote such schemes.

(6) The Committee shall endeavour to stabilise the market prices of scrap through such action as it may deem fit.

(7) In order to implement the functions mentioned in sub-paragraphs (1) to (6), the Committee may set up and operate a Development Fund and may, with the prior approval of the Central Government, require the canalising agency for the import of scrap and old ships to deposit into such fund the difference between the imported price plus service charges and the price at which the scrap or old ship is sold. Where a State Government Undertaking or the canalising agency itself is the ship breaker, the Committee may require it to deposit into the fund such amount as may be determined by it from time to time.

(8) In respect of the functions mentioned in sub-paragraphs (4), (5) and (6) the Committee shall act in accordance with such directions as may be issued by the Central Government from time to time.

(c) General :

(1) The Committee shall meet as often as necessary but not less than once in two months so that it can effectively discharge its supervisory and coordinating functions. It should hold meetings at different places in the country connected with the production and consumption of scrap, and ship-breaking. It may also, at its discretion, invite producers and consumers to meet it and express their views on any matter under consideration.

(2) The Secretarial assistance to the Committee shall be provided by the Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC) who shall prepare the agenda for the meetings and process the decisions etc.

[No. SC-8(3)/79-DIB]

K. SIVARAMAKRISHNAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979